उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद
(अभियन्त्रण अनुभाग)
104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ

संख्या / एस0ई0(एच0क्यू0) / ए–144 दिनांक

कार्यालय आदेश

अधीक्षण अभियन्ता, मुख्यालय वृत्त, लखनऊ के पत्र सं0–2049 / वाई–13 / 138 दिनांक 18.09.2014 द्वारा संस्तुति सहित प्रेषित प्रस्ताव एवं समिति की सहमति के क्रम में एतद्द्वारा तकनीकी स्वीकृति निम्नवत् निर्गत की जाती है :–

1–	कार्य का विवरण	अवध विहार योजना (सुल्तानपुर रोड), लखनऊ के सेक्टर–6 में स्व वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित 256 नग अल्प आय वर्ग (जी+3) अर्फोडेबिल भवनों का निर्माण कार्य।
2–	आई0डी0कोड नं0	095079
3–	अ– प्रशासनिक स्वीकृति का संदर्भ	अभियन्त्रण अनुभाग के कार्यालय आदेश सं0–3312 / एस0ई0 (एच0क्यू0) / ए–144 दिनांक 16.09.2014
	ब– कार्य की लागत	रू0 2071.91 लाख
4–	तकनीकी स्वीकृति का लागत	रू0 2071.91 लाख
6–	लेखा शीर्षक संख्या	29 / 79

प्रतिबन्ध

1– कार्यो का सम्पादन मुख्य अभियन्ता द्वारा स्वीकृत विशिष्टियों के अनुसार कराया जाय। विशेष परिस्थितियों में यदि विशिष्टियों / प्राविधानों में परिवर्तन की आवश्यकता हो तो उसका अनुमोदन कार्य कराने से पूर्व सक्षम अधिकारी से अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।

2– विस्तृत प्राक्कलन में ली गई विभिन्न मदों की दरों एवं मात्राओं के लिए औचित्य का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता / अधिशासी अभियन्ता का होगा ।

3– तकनीकी स्वीकृति से अधिक धनराशि किसी भी दशा में व्यय न की जाय।

4– भवनो की स्ट्रक्चरल डिजाइन का परीक्षण अधिशासी अभियन्ता अपने स्तर से करके उनकी संरचनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करें तथा स्ट्रक्चरल डिजाइन के अनुसार भूकम्प प्रतिरोधी सुरक्षा के लिए आवश्यक प्राविधान सुनिश्चित किया जाय।

5– भवन में नींव की खुदाई करते समय यह देख लिया जाये कि मिट्टी की प्रकृति स्वायल टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार है अथवा नहीं। यदि इसकी गुणवत्ता में कोई अन्तर हो तो स्वायल का पुनः परीक्षण करा लिया जाय तथा नींव की डिजाइन आदि मे तदनुसार आवश्यक संशोधन कर लिये जाये।

6– कार्य निर्गत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के प्रतिबन्ध के अनुसार कराया जाय।

7– कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व स्वायल टेस्टिंग अवश्य करायी जाय। तदनुसार ही नींव की डिजाइन करते हुए कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

8– भवनों का निर्माण पंजीकरण के आधार पर कराया जाय।

9– उक्त भवनों का निर्माण प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के अनुसार निर्धारित [illegible] में पूर्ण करा लिया जाय।

10– प्राक्कलन में ली गयी सामग्री का परीक्षण प्रयोग करने से पूर्व अवश्य करा लिया जाय।

11– प्राक्कलन में ली गयी दरों का आधार न माना जाय। प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त करते हुए कार्य कराया जाय।

मुख्य अभियन्ता / आवास आयुक्त

पृ0सं0: 3726 / उक्त / ए–144 दिनांक 16.X.2014

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1– वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय लखनऊ ।

2– अधीक्षण अभियन्ता(प्रो0) / मुख्यालय वृत्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

3– अधिशासी अभियन्ता (मु0) / निर्माण खण्ड–14, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

मुख्य अभियन्ता / आवास आयुक्त

Scanned by CamScanner